तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
06/07/22	आज यह पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। मूलवाद नोटश द्वारा खारिज हो चुका है। मूलवाद का निस्तारण हो जाने से आ० पत्र 212 RT Act का कोई औचित्य नहीं रहा है। अतः आ० पत्र 212 RT Act की कार्यवाही ड्रॉप की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर रजिस्टर से खारिज की जावे। संलग्न मूलवाद है। SDO